राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

1737. **श्री बिमन भाई हरिभाई शुक्ल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि वह संपूर्ण शक्तियों के अभाव में दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए उसे संपूर्ण शक्तियां देने हेतु कोई कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को इस संबंध में गुजरात से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने यह बताया है कि संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अनुसार यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम करना उनके कर्त्तव्यों में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) मंत्रालय को गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति से राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक शक्तियों का उपयोग न किए जाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस पर राष्ट्रीय आयोग से टिप्पणियां मांगी गई हैं ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

1738. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जन-संख्या कितनी है तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ?

(ख) इन समुदायों से संबंधित क्रमश: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उनके विकास हेतु कोई सुव्यवस्थित कार्यक्रम नहीं बनाये हैं ;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ बनाये गये उन सुव्यवस्थित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के संबंध में 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कुल जनसंख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं । **(नीचे देखिये)** ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनसूचित जनजाति के लिए आदिवासी उपयोजना की कार्यनीति अनुसूचित जाति तथा जनजाति के समग्र विकास के लिए क्रमश: छठवीं योजना तथा

पांचवीं योजना से प्रचलन में है । ये कार्यनीतियां अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की प्रतिशतता के अनुपात में विकास के सभी क्षेत्रों के लिए निधियों के परिमाणन की व्यवस्था करती है ।

कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता जिसमें उनको विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना भी शामिल है, से प्रदान करने के अतिरिक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक, कोचिंग तथा सहबद्ध लड़कों एवं लड़कियों के होस्टल, अनुसूचित जाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त एवं विकास निगम, ट्राइफेड, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का प्रयोग करना, अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है ।

विवरण

	जनसंख्या (1991 जनगणना)	कुल जनसंख्या की प्रतिशतता	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जाति	29276455	21.05	25823388	3453067
अनु०जाति जनजाति	237901	0.21	271028	16873

Reservation for Admission in Secondary Schools to Dalits and Backward Classes

1739. SHRI K. M. KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some States and Union Territories have reserved 50 per cent quota in admission to Government and Government-aided Secondary Schools for students belonging to Dalits and Backward Classes;

(b) if so, the details thereof, State and Union Territory-wise with reference to extant provisions;

(c) whether Government propose to ask some other States and Union Territories to make similar reservations;

(d) whether the extant provisions of reservation have also been implemented in Andhra Pradesh; and

(e) if so, details thereof; and if not, action proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Construction of Dwelling Units for SCs/STs in Gujarat and Rajasthan

1740. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the amount allocated to States Governments of Gujarat and Rajasthan for construction of dwelling units for SCs/STs under the new industrial policy.

(b) if so, the States where such programmes are being implemented;

(c) whether any machinery has been set up to ensure that people of rural and tribal areas actually get the benefits of these programmes;

(d) if so, the details thereof; and